



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)



पत्रांक:- 4454/कर अनु0/2023-24

दिनांक- 29/01/2024

" ई-निविदा सूचना "

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु निम्नलिखित ठेकों की निम्न विवरणानुसार निविदायें आमंत्रित की जाती है।

ठेको का विवरण

क्र.सं	कार्य का नाम	ठेके की अवधि
1.	तहबाजारी शुल्क वसूली निविदा	19.05.2024 से 31.03.2025 तक
2.	मुर्गा-मीट, मछली विक्रय शुल्क निविदा	01.04.2024 से 31.03.2025 तक
3.	ट्रेड लाईसेंस नगर सेवा पोर्टल के माध्यम नवीनीकरण/बनवाये जाने हेतु	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

Schedule/Information	Date	Time
Date of online Publication	01-03-2024	2.00 PM
Documents Download Start Date	01-03-2024	2.00 PM
Bid Submission Start Date	01-03-2024	2.00 PM
Bid Submission End Date	07-03-2024	12.00 P.M.
Offline Submission of Hard/Original copy of Document: End Date	07.3.2024	12.00 P.M.
Bid Opening Date	7.3.2024	1.00 P.M.

उपरोक्त ई-निविदायें <http://uktenders.gov.in> पर देखी जा सकती है। निविदाओं की नियम व शर्तों को नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

जिलाधिकारी/प्रशासक
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर



कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम, रुद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com

visit:-www.nagarnigamrudrapur.com

(दूरभाष- 05944-242400 फ़ैक्स-05944-243316)

पत्रांक:- /कर अनु0/2023-24

दिनांक-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित-

- कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
- सम्पादक ~~दैनिक विजयपुर~~ एवं ~~राष्ट्रिय~~ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 29/01/24 के अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- श्री तपन कुमार राय, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें उत्तराखण्ड की वेबसाइट <http://uktenders.gov.in> व नगर निगम, रुद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टेण्डर खोलना सुनिश्चित करें।
- कार्यालय नगर निगम, रुद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

(शिवाजी जी श्री पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम, रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

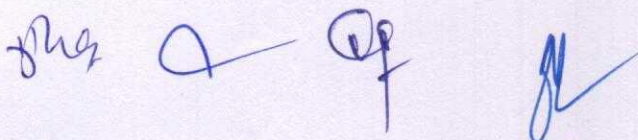
तहबाजारी शुल्क वसूली (वर्ष 2024-25) की शर्त:-
(दिनांक 19.05.2024 से 31.03.2025 तक)

1. ठेका तहबाजारी शुल्क वसूली का क्षेत्र सम्पूर्ण नगर निगम, क्षेत्र होगा।
2. ठेका तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु निविदा प्रपत्र मु0 4000.00+18% GST रू0 720.00 सहित कुल रू0 4720.00 का डिमाण्ड ड्राफ्ट नगर आयुक्त नगर निगम रूद्रपुर के नाम से ऑफलाईन/ऑनलाइन संलग्न करना होगा। उक्त ड्राफ्ट की मूलप्रति निगम कार्यालय में ई-निविदा खुलने से पूर्व जमा करनी होगी।
3. ठेका तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु न्यूनतम निविदा राशि रू0 90,00,000.00 (रू0 नब्बे लाख मात्र) से कम नहीं होगी तथा जी0एस0टी0 अतिरिक्त देय होगी।
4. ठेके की अवधि कार्यादेश निर्गत की तिथि से 31.03.2025 तक मान्य होगी।
5. तकनीकी निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
6. तकनीकी निविदा के साथ, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र रू0 10,00,000.00 (रू0 दस लाख मात्र), संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा हैसियत प्रमाण पत्र छः माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द-बुर्द नहीं किया गया है तथा पेन कार्ड, आधार कार्ड, GST पंजीकरण प्रमाण पत्र ई-निविदा खुलने से पूर्व नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में ई-निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
7. न्यूनतम निविदा राशि का 02 प्रतिशत (रू0 1,80,000.00) का एफ0 डी0 आर0 बतौर जमानत नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर के पक्ष में ऑनलाइन व ऑफलाईन संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी होने से पूर्व 05 प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 जो कि नगर आयुक्त पदनाम से बन्धक हो जमा करना अनिवार्य होगा।
9. ठेका स्वीकृत होने की दशा में निविदादाता को 07 दिवस के अन्दर कुल स्वीकृत निविदा धनराशि का 1/3 भाग व 18 प्रतिशत जीएसटी धनराशि सहित निगम कोष में जमा करना आवश्यक होगा।
10. ठेके की शेष धनराशि को दो समान किस्तों में निर्धारित समय के अन्दर जमा करना आवश्यक होगा। इस हेतु ठेकेदार द्वारा 02 (दो) POST DATED CHEQUE नगर निगम कार्यालय में जमा कराये जाने अनिवार्य होंगे जिन्हें किस्त जमा न होने की स्थिति में निगम कोष में जमा कराया जा सकेगा तथा जमा कराये गये चैकों का अनादर (चैक बाउन्स) होने की स्थिति में ठेकेदार के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा।
11. निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर में निहित होगा।
12. अपरिहार्य कारणों से ससमय निविदा न हो पाने की दशा में बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।



चिन्दगी बुनों, तम्बाकू नगर

13. निविदादाता यदि निविदा से संबंधित किसी प्रकार की अनधिकृत गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है या निविदा प्रक्रिया को दूषित मंशा से बाधित करने का प्रयास करता है तो उसे ब्लैक लिस्ट (Black List) करते हुए एफ0डी0आर0 जब्त कर ली जाएगी।
14. सफल निविदादाता ठेकेदार को तहबाजारी शुल्क वसूली हेतु लगाये गये कर्मचारियों के नाम व पता फोटो सहित अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित कर नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ताकि समय-समय पर निगम द्वारा जांच में व्यवधान उत्पन्न न हों, उक्त के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों द्वारा तहबाजारी शुल्क की वसूली किये जाने की सूचना संज्ञान में आने पर ठेकेदार का यह दायित्व व अधिकार होगा कि वह उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही करें।
15. उच्चतम निविदादाता को ठेका स्वीकृत होने के 07 दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। ठेकेदार को वसूली आदेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
16. ठेकेदार को ठेका किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी रूप में हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं होगा।
17. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में नीलामी की शर्तें भी अनुबन्ध का भाग होगी और किसी भी शर्त का उल्लंघन होने या ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता किये जाने पर ठेका निरस्त कर उक्त शर्तों के अधीन आर्थिक क्षतिपूर्ति हेतु सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
18. ठेके सम्बन्धी समस्त प्रकार के करों/देयकों के भुगतान का दायित्व ठेकेदार का होगा।
19. ठेकेदार को कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने के सम्बन्ध में समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, यदि भविष्य में कोविड-19 महामारी के संक्रमण को रोकने हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण लॉक डाउन/आंशिक लॉक डाउन जैसे उपायों को अपनाया जाता है जिससे ठेला फड व्यवसाय प्रभावित होने, पर समिति की आख्या के आधार पर अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार नगर आयुक्त का होगा।
20. ठेकेदार को मा0 न्यायालय/शासन/प्रशासन/नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर द्वारा समय-समय पर दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
21. किसी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न होने पर नगर निगम के नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर का निर्णय अन्तिम होगा, तथा न्यायिक मामलों में न्याय क्षेत्र रुद्रपुर, ऊधमसिंहनगर होगा।



चिन्दगी बुनों, तम्बाकू नरु.

22. ठेकेदार द्वारा फड़/टेला व्यवसायियों को दी जाने वाली रसीद स्वयं अपने व्यय पर छपवाई जायेंगी, रसीद का प्रतिपण (काउण्टर फॉईल) विवरण सहित अपने पास रखना आवश्यक होगा, जिसे विभागीय अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।
23. ठेका तहबाजारी शुल्क वसूली बोर्ड प्रस्ताव दिनांक 29.05.2019 की बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या-13(1) के अनुपालन में रू0 20.00 प्रतिफड़ प्रतिदिन 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 अतिरिक्त वसूल किया जायेगा।
24. अनुबन्ध की शर्तों का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रथम बार रू0 5,000/- (रू0 पाँच हजार मात्र), दूसरी बार में रू0 10,000/- (रू0 दस हजार मात्र) जुर्माना व तीसरी बार में ठेका निरस्त करते हुए दो प्रतिशत धरोहर धनराशि एवं पाँच प्रतिशत अतिरिक्त धरोहर धनराशि को नगर निगम के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी, तथा पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी। यदि पुनः ठेका किये जाने पर कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी भरपाई ठेकेदार से भू-राजस्व वसूली की भाँति की जायेगी, जिसके समस्त हर्जे-खर्चे का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

(निशा दुबे)

कर एवं रा0ना0मो0
नगर निगम रूद्रपुर

(महेश्वर दत्त पाण्डे)

कर अधीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर

(जुबक मोहन सक्सेना)

वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रूद्रपुर

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)

नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर

जिलाधिकारी/प्रशासक

नगर निगम रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

जिन्दगी चुनों, तम्बाकू नहो.